

17/4/23

पत्रावली वैशा हई वकील
वादी उपस्थित हुए वकील
वादी बाद आगे नहीं चलाना
चाहते हैं तथा Not press के
आधार पर खारिज करवाना
चाहते हैं बाद खारिज होने
की वशा में 72 प्रार्थना पत्र
का कोई औचित्य शेष नहीं
रह जाता है अतः 72 प्रार्थना
पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फिलाल शुमार होकर
दर्ज नंबर से कम हो।
आदेश खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

Not press
"
प्रार्थना

Amn

सहायक कलेक्टर
सांगर लेक (जायपुर)